

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

आदेश

संख्या-3/विविध-01-06/2025-

185(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 03/04/25

बिहार स्वास्थ्य सेवा/दत्त चिकित्सक सेवा सवर्ग के निम्नांकित चिकित्सक/दत्त चिकित्सक को कडिका-03 में अंकित प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है-

क्र० स०	चिकित्सक का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
01	02	03
1	डा० पल्लवी दत्त चिकित्सक, गुरुगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विज्ञापन सं० BCECEB/Health(SR)/2025/02 द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु।
2	डा० प्रेरणा प्रतीक दत्त चिकित्सक, प्रा०स्वा० केन्द्र, हिलसा, नालंदा	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विज्ञापन सं० BCECEB/Health(SR)/2025/02 द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु।
3	डा० इशिता, दत्त चिकित्सक, प्रा०स्वा० केन्द्र, पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विज्ञापन सं० BCECEB/Health(SR)/2025/02 द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु।
4	डा० मुकेश कुमार, दत्त चिकित्सक, स्फरल अस्पताल, कटोरिया, बॉका	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विज्ञापन सं० BCECEB/Health(SR)/2025/02 द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु।
5	डॉ० जैरेल कुमार झा, दत्त चिकित्सक, पदचिकित्सक, अनुसंधान केन्द्र, उत्तर च, कटोरिया, बॉका	ई०एस०आई०सी० बिहार, पटना द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वयनोपरान्त उक्त अवधि के लिए विभाग अथवा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भुगतान नहीं दिया जाएगा।
6	डा० कुमार अभिषेक राजन, विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी, पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	UPSC Civil Services Examination, 2025 के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि वयनोपरान्त योगदान पूर्व वर्तमान धारित पद से त्यागपत्र देना होगा।
7	डा० सुजीत कुमार, दत्त चिकित्सक, प्रा०स्वा० केन्द्र, शाहपुर, भोजपुर	70वीं BPSC Examination के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि वयनोपरान्त योगदान पूर्व वर्तमान धारित पद से त्यागपत्र देना होगा।

02. कम सं० 01 से 05 तक के अंकित चिकित्सकों को अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे।

03. प्रस्ताव में राक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापाक

185(3)

/रवा0, पटना, दिनाक 03/04/2025

प्रतिलिपि महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/संबधित प्राचार्य/संबधित अधीक्षक/संबधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबधित कोषागार पदाधिकारी/संबधित चिकित्सा पदाधिकारी/दत्त चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Wamank 31/4/25
सरकार के अवर सचिव